रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99 REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 13, 2002/आषाढ़ 22, 1924

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 13, 2002/ASADHA 22, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2002

का.नि.आ. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय (सुरक्षा सहायक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय निरसित करते हुए, जिन्हें ऐसे निरसन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 63796/सीएओ/पी. III]

एन. के. फुकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

पाद टिप्पण :— मूल नियम का.नि.आ. 204, तारीख 3 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् का.नि.आ. 118, तारीख 31 मई, 1996 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th June, 2002

S. R. O. 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Ministry of Defence, Naval Headquarters (Security Assistant) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 63796/CAO/P-III]

N. K. PHUKAN, Dy. Chief Administrative Officer

Foot Note :—The principal rules were published vide SRO 204 dated the 3rd July, 1989 and subsequently amended vide SRO 118, dated the 31st May, 1996.

नई दिल्ली, 28 जून, 2002

का.नि.आ. 147.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के अंत में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी—

ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी 'क' (वेतनमान 5000-8000 रु.), ज्येष्ठ तकनीकी 'ख' (5500-9000 रु.) और ज्येष्ठ तकनीकी 'ग' (6500-10,500 रु.) के पदधारियों को क्रमशः तकनीकी सहायक 'क', तकनीकी सहायक 'ख' और तकनीकी सहायक 'ग' के रूप में पुनः पदाभिहित है।

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) में 'न्यूनतम' शब्द का लोप किया जाएगा और अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा— ऐसे अभ्यर्थी पर जिनके पास उच्चतर अर्हताएं और जैसे एम. एस.सी., पीएच.डी., एम.टेक., बी.ई. डिग्री आदि है, भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (4) में ''श्रेणी 4 तक'' शब्दों और अंक के स्थान पर ''श्रेणी 5 तक'' शब्द और अंक रखें।

5. उक्त नियमों की अनुसूची I में,—

(क) **प्रवर्ग 'क' में** — श्रेणी 4, 5 और 6 के सामने ज्येष्ठ तकनीकी 'क', ज्येष्ठ तकनीकी 'ख' और ज्येष्ठ तकनीकी 'ग' पदनाम के स्थान पर क्रमशः तकनीकी सहायक 'क', तकनीकी सहायक 'ख' और तकनीकी सहायक 'ग' पदनाम रखे जाएंगे।

(ख) **प्रवर्ग 'ख' में** — श्रेणी 1, 2 और 3 के सामने तकनीकी सहायक 'क', तकनीकी सहायक 'ख' और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के स्थान पर क्रमशः ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क', ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख' और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ग' रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों की अनुसूची II में,—

(क) शीर्ष की प्रथम पंक्ति में ''न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं'' शब्दों के स्थान पर ''शैक्षिक और अन्य अर्हताएं'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) स्तंभ 3 में क्रम सं. 2 के सामने ''तकनीकी सहायक 'क''' शब्दों के स्थान पर ''ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क''' शब्द रखे जाएंगे।

(ग) स्तंभ 5 में क्रम सं. 2 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर ''विज्ञान में डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा'' रखा जाएगा।

(घ) स्तंभ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और विद्यमान स्तंभ 7 को स्तंभ 6 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों की अनुसूची III में क्रम सं. 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 के सामने ''ज्येष्ठ तकनीकी 'क', ज्येष्ठ तकनीकी 'ख', ज्येष्ठ तकनीकी 'ग', तकनीकी सहायक 'क' तकनीकी सहायक 'ख' और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''तकनीकी सहायक 'क', तकनीकी सहायक 'ख', तकनीकी सहायक 'ग', ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'क', ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ख' और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक 'ग' '' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. डी एम पी डी/76237/आर आर/डी आर टी सी/पी/एम/02]

रोजी शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम 16 दिसंबर, 2000 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 296 तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित और का. नि. आ. 50 तारीख 12-02-2002 द्वारा संशोधित किए गए।

New Delhi, the 28th June, 2002

S.R.O. 147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules 2000, namely :

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Second Amendment) Rules, 2002

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4, of the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), the following line shall be added at the end :—

> The incumbents of the posts of Sr. Tecnician 'A' (Pay scale Rs. 5000-8000), Sr. Technician 'B' (Rs. 5500-9000) and Sr. Technician 'C' (Rs. 6500-10500) are further designated as Technical Assistant 'A', Technical Assistant 'B' and Technical Assistant 'C' respectively.

3. In the sub-rule (4) of rule 5 of the said rules, the word 'minimum' shall be omitted and the following shall be added at the end :—

> "Candidates possessing the higher qualifications viz. M.Sc., Ph.D., B.Tech., B.E. Degrees etc. shall not be considered for recruitment."

4. In the sub-rule (4) of rule 6 of the said rules, the words and figures "upto grade 4" shall be substituted by "upto grade 5".

5. In Schedule I to the said rules,—

(a) **IN CATEGORY 'A'** —against Grade 4, 5 and 6 the designation of Sr. Technician 'A', Sr. Technician 'B' and Sr. Technician 'C' shall be substituted by Technical Assistant 'A', Technical Assistant 'B' and Technical Assistant 'C' respectively.

(b) **IN CATEGORY 'B'** —against Grade 1, 2 and 3, the designation of Technical Assistant 'A', Technical Assistant 'B', and Sr. Technical Assistant shall be substituted by Sr. Technical Assistant 'A', Sr. Technical Assistant 'B' and Sr. Technical Assistant 'C' respectively.

6. In Schedule II to the said rules,—

(a) in the first line of the heading the words, "Minimum educational and other qualifications" shall be substituted by the words "The educational and other qualifications".

(b) in Col 3 against S. No. 2, the words "Technical Assistant 'A'. " shall be substituted by "Sr. Technical Assistant 'A'."

(c) in Col 5 against S. No. 2, the existing entry shall be substituted by the words "Degree in Science with minimum one year Diploma in Library Science".

(d) in Col 6, the existing entries shall be deleted and the existing Column 7 shall be renumbered as Column 6.

7. In Schedule III to the said rules, against S. No. 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10, the words Sr. Technician 'A', Sr. Technician 'B', Sr. Technician 'C', Technical Assistant 'A', Technical Assistant 'B' and Sr. Technical Assistant shall be substituted by Technical Assistant 'A', Technical Assistant 'B', Technical Assistant 'C', Sr. Technical Assistant 'A', Sr. Technical Assistant 'B' and Sr. Technical Assistant 'C' respectively.

[F. No. DMPD/76237/RR/DRTC/P/M/02]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note: The principal Recruitment Rules were published on 16 Dec, 2000 in the Gazette of India, Part II, Section IV vide SRO 296 dated 05 Dec, 2000 and amended vide SRO 50 dated 12-02-2002.

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

का.नि.आ. 148.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री सलील मजूमदार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बबीना में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फाईल सं. 29/09/बबीना/सी/डीई/2001/2345/डी/(क्यू एण्ड सी)]

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 25th June, 2002

S.R.O. 148.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Babina by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri Salil Mazoomdar.

[F. No. 29/09/Babina/C/DE/2001/2345/D (Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.